7/9/16

संख्या– 727/xxiv–नवसृजित/2016–03(02)/2016

प्रेषक,

वी0एस0 पुण्डीर,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित **देहरादूनः दिनांकः7 सितम्बर, 2016**

विषयः– दोनों राज्यों की प्राप्त सहमति/अनापत्ति के आधार पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्मिक को कार्यमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश राज्य की पारस्परिक सहमति के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानान्तरण/समायोजन हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित शिक्षक को अनापत्ति प्रदान किए जाने के फलस्वरूप प्रस्तर–2 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उत्तराखण्ड राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य के लिए कार्यमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम
1	2	3
1	श्री जीवन सिंह, स0अ0, एल0टी0, व्यायाम	रा0इ0का0 कोटडीढांग (कोटद्वार) पौड़ी गढ़वाल **सम्प्रति–** रा0उ0मा0वि0 कुल्हाड़, पौड़ी गढ़वाल।

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून निम्न शर्तों का परीक्षण करने के उपरान्त उपरोक्त कार्मिक को दोनों राज्यों की पारस्परिक सहमति के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य से अविलम्ब कार्यमुक्त करते हुए प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के समक्ष योगदान दिये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें:–

(1) संबंधित कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सहमति पत्र लिखित रूप में प्राप्त कर लिया जाय कि वह स्वयं अपनी सहमति से उत्तर प्रदेश राज्य में जाना चाहता है। भविष्य में संबंधित कार्मिक द्वारा उत्तराखण्ड राज्य से कोई सेवा संबंधी लाभ यथा भविष्य निधि, सेवानिवृत्तिक लाभ, ज्येष्ठता, अवकाश, पूर्व की सेवा का प्रोन्नत वेतनमान आदि हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही उत्तराखण्ड से कार्यमुक्त होने पर उसका धारणाधिकार (LIAN) समाप्त समझा जाय।

(2) संबंधित कार्मिक के पक्ष में शासकीय देय यदि कोई हो तो उसकी वसूली सुनिश्चित की जाय।

(3) यदि संबंधित कार्मिक के विरूद्ध विभाग में किसी भी स्तर पर कोई विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही चल रही हो तो संबंधित कार्मिक को कार्यमुक्त न किया जाये।

(4) संबंधित कार्मिक द्वारा यदि भारत सरकार के अन्तिम आवंटन के विरूद्ध मा0 न्यायालय से कोई स्थगनादेश प्राप्त किया गया हो अथवा संबंधित कार्मिक द्वारा विभाग के विरूद्ध किसी अन्य मामले में मा0 न्यायालय में कोई वाद योजित किया गया हो तो संबंधित कार्मिक को कार्यमुक्त न किया जाये।

(5) यदि संबंधित कार्मिक के सेवा संबंधी लाभ तथा अवकाश स्वीकृति प्रदान किये जाने संबंधी प्रकरण लंबित/अवशेष हों, तो उन्हें निस्तारित किया जायेगा।

(6) संबंधित कार्मिक को उत्तर प्रदेश राज्य कार्यमुक्त किये जाने के फलस्वरूप संबंधित कार्मिकों की भविष्य निधि, सेवानिवृत्तिक लाभ, ज्येष्ठता, अवकाश, पूर्व की सेवा का प्रोन्नत वेतनमान आदि सभी प्रकरणों पर अग्रेत्तर कार्यवाही तथा दायित्वों का निर्वहन उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किया जायेगा।

(7) संबंधित कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह लिखित रूप में मांग लिया जाय कि उन्हें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत अनापत्ति में उल्लिखित शर्ते मंजूर हैं।

भवदीय

(वी0एस0 पुण्डीर)
अनु सचिव

संख्या– 727/xxiv–नवसृजित/2016–03(02)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून/उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. सचिव, राज्य पुनर्गठन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी संबंधित जनपद द्वारा–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
9. संबंधित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, संबंधित विद्यालय द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा।
10. संबंधित कार्मिक द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वी0एस0 पुण्डीर)
अनु सचिव